कम्प्यूटर परिपत्र सं0 1718030 दि0 25-08-2017

पत्र संख्या- आई0टी0-नोटिस एवं कर निर्धारण माड्यूल/डीलर्स मार्किंग/2017-18/638/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0 अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 25 अगस्त, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/कारपोरेट)
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश मूल्य संबर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा- 28 के अन्तर्गत 50 लाख वार्षिक टर्नओवर से कम के व्यापारियों का कर निर्धारण कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा कर निर्धारण हेतु चयन के पश्चात किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु वर्ष 2014-15 के डीलर्स की टर्न ओवर मार्किंग करते हुए रू0 50 लाख से कम एवं 50 लाख से अधिक की मार्किंग की जानी थी। मुख्यालय स्तर पर जोनवार समीक्षा में वर्ष 2014-15 की टर्न ओवर मार्किंग की स्थिति निम्नवत पायी गयी:-

Marking Assessment Report (Zone Wise) for Assessment Year 2014-2015

S. No.	Zone		Marking Dealers		
		Total Dealers	Less than or equal to 50 Lakhs	Greater than 50 Lakhs	Unmarked
1	Agra	28334	16469	6096	5016
2	Aligarh	38298	11109	4040	22731
3	Allahabad	37405	30118	4767	3450
4	Bareilly	34295	22866	5675	4107
5	Etawah	36102	17622	2881	13365
6	Faizabad	51593	35992	7150	8375
7	Gautambudha Nagar	26412	5835	4195	10925
8	Ghaziabad I	27090	13791	6321	6542
9	Ghaziabad II	21902	11713	5696	4344
10	Gorakhpur	53953	32392	4324	16762
11	Jhansi	34367	15104	2974	12901
12	Kanpur I	23448	7997	3513	10525
13	Kanpur II	27567	5827	3574	15869
14	Lucknow I	37626	16034	4298	15178
15	Lucknow II	36906	12166	2376	19283
16	Meerut	25967	9332	3216	11829
17	Moradabad	45470	28854	5015	9905
18	Saharanpur	31560	14365	3061	10998
19	Varanasi I	32371	24890	6080	2192
20	Varanasi II	55872	26652	6350	21285
Total		**706538**	**359128**	**91602**	**225582**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अभी तक वर्ष 2014 .2015 के व्यापारियो की टर्न ओवर मार्किंग नहीं की गयी है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2014-15 की टर्न ओवर मार्किंग का कार्य बिलम्बतम दिनांक 30.08.2017 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाये। जिन जोन/संभाग में यह कार्य दिनांक 30.08.2017 तक पूर्ण नहीं किया जायेगा उन जोन के एडीशनल कमिश्नर/संभाग के ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को उत्तरदायी मानते हुये कार्यवाही की जायेगी। यहॉ यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यह मार्किंग ज्वाइन्ट

कमिश्नर (कारपोरेट) तथा खंड/मंडल के डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी तीनों स्तर के अधिकारियों द्वारा की जानी है। मार्किंग न होने के कारण यदि किसी व्यापारी का चयन कर निर्धारण हेतु नहीं हो पाता है तो सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को उत्तरदायी मानते हुए कार्यवाही की जायेगी एवं मार्किंग की तिथि आगे नहीं बढायी जायेगी एवं जिस स्तर के अधिकारी द्वारा मार्किंग नहीं की जायेगी उसका उत्तरदायी निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

24/08/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।